

दिनांक 07.06.2023 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की आहूत बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 07.06.2023 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन बाराबंकी द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपरान्ह 4:00 बजे जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बाराबंकी के गांधी सभागार में "जल जीवन मिशन" के अन्तर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, बाराबंकी की अध्यक्षता में की गयी।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे:-

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी।
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी, स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य।
- 4- जिला विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी।
- 6- जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी।
- 7- अधि०अभि०, वाटर रिसो०/सिंचाई, बाराबंकी।
- 8- अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण)/सचिव जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, बाराबंकी।
- 9- सहायक अभियन्ता उ०प्र०जल निगम(ग्रामीण) बाराबंकी।
- 10- मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रा०लि०, हैदराबाद।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ के शासनादेश सं० 07/2022/430/छिहत्तर-1 2022-25सम/2019 दिनांक 04 मार्च 2022 (पताका-1) के द्वारा प्रसारित निर्देश के अनुसार ₹० 5.00 करोड़ तक लागत के डी०पी०आर० का परीक्षण करके योजनाओं की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रदान की जानी है तथा ₹० 5.00 करोड़ से अधिक लागत के वेटिंग उपरान्त प्रस्तुत डी०पी०आर० पर अनुमोदनोपरान्त अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) किसान बाजार, प्रथम तल, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को प्रेषित किया जाना है।

दिनांक 14.12.2022 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन बाराबंकी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में 15 नग डी०पी०आर० में क्रम सं 10 पर अंकित रेहुरा ग्राम पेयजल योजना विकास खण्ड हैदरगढ़ अनुमानित लागत ₹० 182.73 लाख स्वीकृत किया गया था। जनपद अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार ग्राम पंचायत मोहउद्दीनसराय के 03 मजरे नगर पंचायत सुबेहा में सम्मिलित कर दिये गये हैं तथा शेष 01 मजरा बड़ा बरगदहा को ग्राम पंचायत रेहुरा में सम्मिलित किया गया है। दिनांक 07.06.2023 को स्वीकृत डी०पी०आर० में अवशेष रह गए मजरे को सम्मिलित करते हुये कार्यदायी एजेन्सी मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर्स लि०, हैदराबाद द्वारा संशोधित डी०पी०आर० अनुमानित लागत ₹० 191.49 लाख खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत डी०पी०आर० ₹० 5.00 करोड़ लागत के अन्तर्गत एवं जल जीवन मिशन के अन्तर्गत दिनांक 11.08.2022 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की सत्तरहवीं बैठक के एजेन्डा बिन्दु सं०-01 के प्रस्तर-4 के बिन्दु-3 के अनुसार प्रति व्यक्ति लागत ₹० 7000.00 के अन्तर्गत है पर अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की जा सकती है पर विचार/अनुमोदन की कार्यवाही की जानी है।

समिति के समक्ष प्रस्तुत डी०पी०आर० पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सर्वसम्मति स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

स्वीकृत की गयी योजनाओं का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	योजना का नाम	योग की अनु० लागत (₹० लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत ₹० में
1	2	3	4	5	6
1	हैदरगढ़	रेहुरा	रेहुरा ग्राम पेयजल योजना	191.49	6998

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, बाराबंकी की दिनांक 07.06.2023 की हुई बैठक में 01 नग नवीन परियोजना के निर्माण हेतु गठित डी०पी०आर० पर अनुमोदन/स्वीकृति हेतु संस्तुति प्रदान की गयी।

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी को निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन बाराबंकी के माध्यम से अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) किसान बाजार, प्रथम तल, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को डी०पी०आर० अग्रसारित किये जाने से सम्बन्धित पत्र का आलेख भी प्रस्तुत करें।

अन्त मे अधिशाली अभियन्ता जल निगम, द्वारा समस्त आगंतुको का बैठक मे उपस्थित होने हेतु आभार व्यक्त करते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।

(अमित कुमार)

अधिशाली अभियन्ता जल निगम,
/सदस्य सचिव, जि०पे० एवं स्व०मि०
बाराबंकी।

(सदस्य)

जिला कृषि अधिकारी,
बाराबंकी

(सदस्य)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बाराबंकी

(सदस्य)

जिला विकास अधिकारी,
बाराबंकी

(सदस्य)

अधिशाली अभियन्ता, सिचाई
बाराबंकी

(सदस्य)

अधिशाली अभियन्ता ग्राउण्ड
वाटर अयोध्या

(सदस्य सचिव)

अधिशाली अभियन्ता उ०प्र०
जल निगम, बाराबंकी

(उपाध्यक्ष)

मुख्य विकास अधिकारी,
बाराबंकी

(अध्यक्ष)

जिलाधिकारी
बाराबंकी